न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 128/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/205

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.चम्पा पत्नि मांगे खां जाति तेली निवासी ढूंढा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 2.धापु बानो पत्नि शाहरुख खां जाति तेली निवासी ढूंढा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण 3.सोनू पत्नि मुस्ताक खां जाति तेली निवासी ढूंढा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण		1.जरीना पत्नि हाजी मुबारक जाति छीपा निवासी वाड़िया मस्जिद के पास बालोतरा 2.जगाराम पुत्र मालाराम 3.हुकमाराम पुत्र मालाराम 4.रुपाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी रातानाड़ा खेड़ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.इकबाल पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति कुरैशी निवासी रातानाड़ा खेड़ तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति-

1.श्री ओमप्रकाश डावी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3.विप्रार्थी संख्या 2 से 6 एकपक्षीय

<u>आदेश</u>

दिनांक 24/02/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने अनापति की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 6 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की वक्त पैमाईश विप्रार्थी को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति मे की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल. आर. एक्ट का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.4.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 2.6224 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

24/02/26

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/02/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

24/02/26

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा